इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 251]   भोपाल, गुरुवार, दिनांक 16 जून 2016—ज्येष्ठ 26, शक 1938

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 जून 2016

क्र. डी-15-16-2016-चौदह-3.—में यह संशोधन कर राज्य सरकार, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 79 की उपधारा (2) के खण्ड (इक्कीस) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (राज्य विपणन विकास निधि) नियम, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जिसका प्रकाशन धारा 79 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गए अनुसार पूर्व में किया जा चुका है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में—

(1) अध्याय—तीन, नियम 10 के उपनियम (4) में शब्द "मंडी समितियों द्वारा संधारित आरक्षित निधि की एक तिहाई रकम," के स्थान पर निम्नानुसार शब्द प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात:—

"मण्डी समितियों द्वारा संधारित आरक्षित निधि की तीन चौथाई रकम"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 जून 2016

क्र. डी-15-16-2016-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16 जून 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता, उपसचिव.

Bhopal, the 16th June 2016

No. D-15-16-2016-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (XXI) of sub-section (2) of Section 79 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby make

the following amendment in the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (State Marketing Development Fund) Rules 2000, the same have been published as required by sub-section (1) of Section 79, namely:—

AMENDMENT

In the said rules—

(1) In Chapter-III, Rule 10 and sub rule (4) in place of words "One third amount of Reserve fund maintained by Market committees and amount" the following words shall be substituted, namely:—

"Three fourth amount of the Reserve fund maintained by Market committees".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AJAY GUPTA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.